

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी

(पीवसीन अधिकारी कैम्प कॉर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र

प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता हस्त" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का भू अ0नि0 वृत्त की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् के खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र. सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	दसवा 2		बदाम बाई पालि शंकरदास	बदाम बाई पालि शंकरदास

क्रमांक: सरिस्ता/5-11(298)2021
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बदाम बाई पालि शंकरदास को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

राशमी

दिनांक :-

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी